

	भ्रष्टाचार विरोधी-नीति – वैश्विक परिशिष्ट 7 संस्तुत अनुबंध शर्तें			
	100.102.007	100.102.007		
कॉर्पोरेट (निगम) कानूनी नैतिकता और अनुपालन	नीति क्रियान्वयनकर्ता:	एसोसिएट जनरल काउंसल (संबद्ध महाधिवक्ता) - अनुपालन		
	प्रभावी तिथि:	2015-जून-17	संशोधित: 6	पृष्ठ 2 का 1

तृतीय पक्ष के साथ अनुबंध के लिए संस्तुत प्रावधान

जब कभी संभव हो और प्रत्येक व्यावसायिक भागीदार [तृतीय पक्ष] की विशिष्ट तथ्यपरक स्थितियों के आधार पर, Regal निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों को भी शामिल करना चाहेगा:

2.6 सटीकता और [तृतीय पक्ष] की यथोचित सतर्कता पर Regal का भरोसा। Regal द्वारा [तृतीय पक्ष] के चयन के संदर्भ में, [तृतीय पक्ष] ने Regal को कुछ सूचना उपलब्ध कराई है, और एक प्रभावली का उत्तर दिया है, एवं कुछ निश्चित प्रमाण दिए हैं, जो यहां संलग्न हैं (सामूहिक रूप से, "भ्रष्टाचार विरोधी यथोचित सतर्कता सूचना")। [तृतीय पक्ष] कंपनी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और उसे आश्चर्य करता है कि भ्रष्टाचार विरोधी यथोचित सतर्कता संबंधी सूचना सटीक और पूर्ण है, एवं Regal द्वारा इस प्रकार की सूचना के लिए किए गए अनुरोध के फलस्वरूप दी गई, इसमें ऐसी कोई भी अयथार्थता, गलतबयानी या विलोपन नहीं है जो [तृतीय पक्ष] के प्रतिवेदनों और वारंटियों को इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी सामग्रीक संदर्भ में अधूरे या अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करे। [तृतीय पक्ष] इसे व्यक्त रूप में समझता है कि अनुबंध में भागीदार बनने के लिए, Regal भ्रष्टाचार विरोधी यथोचित सतर्कता संबंधी सूचना (Anti-corruption Due Diligence Information) की सटीकता और पूर्णता पर भरोसा करता है और विश्वास तथा आशा करता है कि [तृतीय पक्ष] अपने नैतिक आचरण को कायम रखेगा और ऐसे किसी भी कार्य या कार्य को करने में असफलता से बचेगा जिसका परिणाम Regal के लिए FCPA, यूके के घूसखोरी संबंधी अधिनियम (U.K. Bribery Act) या किसी अन्य लागू होने योग्य भ्रष्टाचार विरोधी या अन्य कानून के अंतर्गत दायित्व के अधीन आना हो सकता है।

2.8 [तृतीय पक्ष] का निरंतर परामर्श देने का दायित्व। [तृतीय पक्ष] सहमति व्यक्त करता है कि यदि मैं इस संबंध में जानूंगा या जानने का कोई कारण होगा कि: (i) अनुबंध के अंतर्गत या किसी अन्य रूप में Regal के लिए व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के उद्देश्य से किसी सार्वजनिक अधिकारी को भुगतान करने के लिए कोई भुगतान, प्रस्ताव या समझौता किया गया है, या (ii) अनुबंध की अवधि में घटनाक्रम का कोई ऐसा अन्य विकास हुआ है जो [तृतीय पक्ष] द्वारा यहां नीचे, या यहां दी हुई तिथि पर अथवा अनुबंध की अवधि के दौरान, FCPA या भ्रष्टाचार, घूसखोरी या धोखाधड़ी को निषेधित करने वाले अन्य कानूनों के संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों, वारंटियों और प्रमाणों को अयथार्थ या अधूरा बना देता है, तो [तृतीय पक्ष] इस प्रकार की जानकारी या संदेह और [तृतीय पक्ष] को ज्ञात संपूर्ण आधार के बारे में _____ को तत्काल लिखित परामर्श देगा।

2.9 [तृतीय पक्ष] पर सरकारी स्वामित्व को प्रकट करने का निरंतर दायित्व। यदि अनुबंध की अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक अधिकारी [तृतीय पक्ष] में या अनुबंध में किसी प्रकार का या किसी प्रकृति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हासिल करता है, तो ऐसी स्थिति में [तृतीय पक्ष] लिखित प्रतिज्ञा करता है और सहमति व्यक्त करता है कि वह उसे कंपनी के समक्ष लिखित रूप में तत्काल, पूर्ण और सटीक प्रकटन करेगा और इस प्रकार के प्रकटन के बाद, अनुबंध की धारा के प्रावधानों _____ के अधीन अनुबंध Regal की [तृतीय पक्ष] को लिखित नोटिस पर तत्काल समाप्त किए जाने योग्य होगा।

2.10 क्षतिपूर्णा। [तृतीय पक्ष] क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमति व्यक्त करता है और Regal और उसके संबद्ध अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, और प्रतिनिधियों को किसी भी या सभी प्रकार के दावों, मुकदमों, क्षतियों या व्ययों के कारण, उनका चाहे जो रूप और प्रकृति हो, और जिनमें अटार्नियों की फीस और कानूनी बचाव संबंधी अन्य व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, के कारण होने वाले उस नुकसान से बरी करता

है, जिसे उन्हें या उनमें से किसी को [तृतीय पक्ष] या उसके किसी निदेशक, अधिकारी, प्रतिनिधि या एजेंट के किसी कार्य या चूक के कारण उठाना पड़ सकता है और जो (i) [तृतीय पक्ष] द्वारा इस अनुबंध में व्यक्त किसी प्रतिवेदन, वारंटी या प्रतिज्ञापत्र के उल्लंघन, (ii) [तृतीय पक्ष] द्वारा किसी लागू होने योग्य कानून, विनियम, या आदेश जिनमें FCPA या यूके का घूसखोरी विरोधी संबंधी अधिनियम शामिल हैं; या (iii) [तृतीय पक्ष] द्वारा किसी लागू होने योग्य कानून, विनियम, या आदेश जिनमें FCPA या यूके का घूसखोरी विरोधी संबंधी अधिनियम शामिल हैं पर वे इन तक ही सीमित नहीं हैं, के उल्लंघन का परिणाम हैं, यदि कंपनी द्वारा इस प्रकार का उल्लंघन [तृतीय पक्ष] या उसके किसी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि या एजेंट के किसी कार्य, या किसी कार्य को करने में असफलता का सीधा परिणाम है।

2.11 Regal का प्रकटन करने का अधिकार। ऐसी स्थिति में, जब Regal, केवल अपने विवेक से, और अच्छी नीयत से यह निष्कर्ष निकालती है कि [तृतीय पक्ष] ने FCPA का उल्लंघन किया है, तो Regal अनुबंध को समाप्त कर सकती है और FCPA उल्लंघन को प्रासंगिक सरकारी अधिकारी, जिनमें अमेरिका का न्याय विभाग (U.S. Department of Justice), अमेरिका का प्रतिभूति और विनियम आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission) या यूके का गंभीर धोखाधड़ी संबंधी कार्यालय (U.K. Serious Fraud Office) शामिल हैं, पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के समक्ष प्रकट कर सकती है।

लेखक:	फर्नेन्डो रुइज़ (Fernando Ruiz) एसोसिएट जनरल काउंसल – वाणिज्यिक (Associate General Counsel – Commercial)	Fernando.Ruiz@regalbeloit.com +1 260-416-5685
अनुमोदनकर्ता:	<input type="checkbox"/> जोखिम एवं अनुपालन समिति <input checked="" type="checkbox"/> GC	दस्तावेज स्टोरेज सूचना: 2014-00120: 0000006410
भाषाएं:	वही जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति में है – वैश्विक 100.102	
संशोधित इतिहास/तिथि पूरा किया हुआ:	6: नीति से मेल खाने के लिए संशोधित भाषा संदर्भ 5: अद्यतिद प्रारूप 4: "विदेशी" से "सार्वजनिक" और जांच को ठीक संस्तुत शब्दों के लिए आगे बढ़ाया 3: पायलट के साथ संशोधन 2: अनुवाद शामिल किए गए नया	2015-जून-17 2015-जून-11 2014-दिसंबर-31 2014-सितंबर-19 2012 2011-अगस्त